

**राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के छात्र कल्याण
निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 01.04.2019 से 31.03.2024

भाग - एक

1 गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष लम्बित पैरों के निपटारे हेतु की गई कार्यवाही की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान की गई तथा पैरों पर की गई कार्यवाही के सत्यापनोपरांत नवीनतम लम्बित पैरों की स्थिति निम्न वर्णित है।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2016 से 03/2019

1	पैरा - 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क प्रेषित किये जाने के दृष्टिगत)
2	पैरा - 4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित करने के दृष्टिगत)
3	पैरा - 5	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित करने के दृष्टिगत)
4	पैरा - 6	निर्णीत	(₹ 98,390/- को छात्र कल्याण निधि में जमा करवा दिया गया है जिसकी पुष्टि उपरान्त पैरे का निपटारा कर लिया गया)
5	पैरा - 7	अनिर्णीत	

भाग - दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के छात्र कल्याण निधि लेखों का अवधि 04/19 से 03/24 तक का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री प्रीतम चन्द, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 05.04.25 से 07.05.25 के दौरान संस्थान के परिसर में किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जांच हेतु माह का चयन इस प्रकार किया गया।

वित्तीय वर्ष	चयनित माह (आय)	चयनित माह (व्यय)
2019-20	08/19	09/19
2020-21	10/20	03/21

2021-22	02/22	02/22
2022-23	02/23	08/22
2023-24	08/23	04/23

इस अंकेक्षण प्रतिवदेन एवं वितीय स्थिति को प्रधानाचार्य/नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध/प्रस्तुत करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्थान द्वारा प्रदान की गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध/प्रस्तुत नहीं करवाई गई है, की जिम्मेवारी लेने से इंकार करता है तथा इस विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक सीमित है।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित प्रधानाचार्य आहरण व सवितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे।

क्र०सं०	नाम	पदनाम	अवधि
1	ई० श्री संजीव सहोत्रा	प्रधानाचार्य (वरिष्ठ स्केल)	01.04.19 से 14.12.21
2	डॉ० तरुण कुमार	प्रधानाचार्य	15.12.21 से 19.01.22
3	ई० श्री संजीव सहोत्रा	प्रधानाचार्य (वरिष्ठ स्केल)	20.01.22 से 07.09.22
4	श्री चैन सिंह	प्रधानाचार्य	08.09.22 से 01.09.23
5	ई० श्री संजीव सहोत्रा	प्रधानाचार्य (वरिष्ठ स्केल)	01.09.23 से लगातार

3 अंकेक्षण शुल्क :-

संस्थान के छात्र कल्याण निधि का अंकेक्षण शुल्क ₹15,000/- आंका गया, को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला -171009 को भेजने के लिए अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/25-26/19 दिनांक 07.05.25 द्वारा प्रधानाचार्य से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में प्रधानाचार्य द्वारा अंकेक्षण शुल्क की ₹15,000/- को कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित, शाखा नूरपुर के बैंक चैक संख्या 460535 दिनांक 08.05.25 द्वारा प्रेषित कर दिया गया है।

4. वितीय स्थिति :-

(क) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के छात्र कल्याण निधि लेखों की अवधि 04/19 से 03/24 तक की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से है एवं विस्तृत विवरण परिशिष्ट "क" पर दिया गया है।

Year	Opening Balance	Income	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2019-20	4903750	5217333	205492	10326575	4263066	6063509
2020-21	6063509	1774703	363344	8201556	1606454	6595102
2021-22	6595102	2949279	287844	9832225	1665982	8166243
2022-23	8166243	1653493	361220	10180956	1371212	8809744
2023-24	8809744	1788934	441894	11040572	1403723	9636849

(ख) दिनांक 31.03.24 के अन्तशेष का विवरण :-

- दिनांक 31.03.24 को KCCB नूरपुर के बचत खाता संख्या 28,70,926
5006911170721 में जमा राशि
- दिनांक 31.03.24 को KCCB नूरपुर के सावधि खाता संख्या 67,65,923
5006911170721 में जमा राशि

कुल योग 96,36,849

5 निवेश :-

संस्थान द्वारा सावधि जमा योजना में दिनांक 31.03.2024 तक निवेशित ₹67,65,923/- का विवरण निम्न प्रकार से है एवं विस्तृत विवरण परिशिष्ट- "ख" में दिया गया है।

Sno	Name of Bank	TDR Rct No.	FDR A/c No.	Date of Investment	Amount Invested	Intt. Rate	Maturity Date	Maturity Amount
1	KCCB	301152	50068933844	19.11.23	500231	6.80%	19.11.24	535124
2	KCCB	301151	50070765374	11.11.23	1879087	6.80%	11.11.24	2010160
3	KCCB	301150	50070789918	18.11.23	1262668	6.80%	18.11.24	1350744
4	KCCB	440913	50071073440	07.01.24	2016174	6.80%	07.01.25	2156810
5	KCCB	172218	50073079927	26.04.23	1107763	6.50%	25.04.24	1181283
Total					6765923			7234121

6 रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर संधारित न करने बारे :-

अंकेक्षण में पाया गया कि संस्थान द्वारा शुल्क एवं निधियों की वसूली हेतु प्रयोग की गई रसीद बुकों की प्राप्ति व निर्गमन की प्रविष्टियां स्टॉक रजिस्टर पर दर्ज नहीं की गई थी। जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि संस्थान द्वारा कुल कितनी रसीद बुकें प्रकाशित करवाई गई एवं स्टॉक में आई कितनी रसीद बुकें प्रयोग में लाई गई या जारी की गई व कुल कितनी रसीद बुकें स्टॉक

में पड़ी हैं तथा उनका क्रमांक संख्या क्या है। उक्त अभिलेख के अभाव में रसीद बुकों के गुम होने व दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता है।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 01 दिनांक 24.04.25 द्वारा संस्थान प्रधानाचार्य को अवगत करवाने पर प्रत्युत्तर में कार्यालय पत्र संख्या 1269 दिनांक 05.05.25 द्वारा भविष्य में रसीद बुक रजिस्टर संधारण का आश्वासन दिया। अतः सुझाव दिया जाता है कि तत्काल प्रभाव से रसीद बुकों का अपेक्षित स्टॉक रजिस्टर निम्न प्रपत्र अनुसार संधारित करना सुनिश्चित किया जाए, जिसमें प्राप्ति की दिनांक, रसीद बुकों का क्रमांक, प्राप्ति की स्रोत मात्रा, किस- किस क्रमांक की जारी की गई का विवरण दर्ज किया जाए तथा यह भी प्रमाणित/सत्यापित किया जाए कि प्रयोग की गई रसीद बुक के द्वारा वसूल की गई राशि का लेखांकन कर लिया गया है तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को नकारा जा सके।

1	2	3	4	5
Date of receipt of Receipt Books	No. of Receipt Books received	Sr.No. of the Receipt Books	No. of forms in the Receipt Book referred to in Col.No.3	Signature of the custodian of Receipt Book
6	7	8	9	10
Signature of the officer attesting the entry made in the Stock Register	Date of issue of Receipt Books for use.	Sr. No. of the Receipt Book issued for use.	Signature of the official to whom issued.	Date of return of Receipt Books after use
11	12	13		
Period during which the receipt book has been used	Signature of the officer attesting the entry made in the Stock Register	Remarks		

7 विलम्ब शुल्क के रूप में ₹360/- की वसूली न करने बारे:-

हि०प्र० राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विवरण पुस्तिका (Prospectus) के क्र० संख्या 14.1.11 के अनुसार "सभी शुल्क एवं निधियां जमा करने की अंतिम तारीख माह (February/August) की 10 तारीख है, इसके उपरान्त माह की 25 तारीख तक 15 रूपये प्रतिदिन विलम्ब शुल्क लगेगा, 25 तारीख के बाद प्रशिक्षणार्थी का नाम हाजरी रजिस्टर से काट दिया जाएगा"

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा निम्न विवरणानुसार 10 तारीख के उपरान्त प्राप्त शुल्क एवं निधियों पर विलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई जो कि विवरण पुस्तिका (Prospectus) में वर्णित उक्त नियम के विपरीत है।

Sno	Student Name	Trade	Receipts No & date	Fee received (₹)	Fee to be deposited without late fee	No. of days late	Fee to be received (₹)	Less Amount received (₹)
1	Sh. Rajnish Kumar	Elecx Mech	2835 dated 13.02.24	2950	10.02.24	3	2995	45
2	Sh. Karan Kumar	Elecx Mech	2836 dated 13.02.24	2950	10.02.24	3	2995	45
3	Sh. Anuj Kumar	Elecx Mech	2837 dated 13.02.24	2950	10.02.24	3	2995	45
4	Sh. Gurpreet Singh	Elecx Mech	2838 dated 13.02.24	2950	10.02.24	3	2995	45
5	Sh. Varinder Singh	Elecx Mech	2839 dated 13.02.24	2950	10.02.24	3	2995	45
6	Sh. Gurjeet Singh	Elecx Mech	2329 dated 13.02.23	2965	10.02.23	3	2995	30
7	Sh Nikhil Chaudhary	R&A.C.	2330 dated 13.02.23	2965	10.02.23	3	2995	30
8	Sh. Suraj Dadwal	Fitter	2331 dated 13.02.23	2965	10.02.23	3	2995	30
9	Sh Sourabh	Elecx Mech	1433 dated 13.08.21	3170	10.08.21	3	3215	45
Total								360

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 24.04.25 के अंतर्गत प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के ध्यान में उचित कारवाई करने हेतु लाया गया, प्रत्युत्तर में कार्यालय पत्र संख्या 1269 दिनांक 05.05.25 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त ₹360/- को रसीद संख्या 3428 दिनांक 05.05.25 द्वारा छात्र कल्याण निधि में जमा करवा दिया गया है, जिसकी पुष्टि वर्तमान अंकेक्षण में कर ली गई है। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सभी शुल्कों/निधियों की नियमानुसार वसूली करना सुनिश्चित की जाए।

8 निधियों को विलम्ब से जमा करना :-

हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावली 2009 के नियम 3(1) के अनुसार प्राप्त राशि को उसी दिन या उससे अगले दिन राजकीय कोष/ बैंक में जमा किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित प्राप्त निधियों को विलम्ब से जमा किया गया जबकि नियमानुसार सरकारी राशियों को अगले कार्य दिवस पर राजकीय कोष/ बैंक में जमा करना अपेक्षित है :-

Sno	CBP	Date of Receipt	Amount (₹)	Date of deposit in Bank
1	111	31.07.19	4620	05.8.19
2	113	9.8.19	36485	17.08.19
3	116	28.08.18	27720	21.09.19
4	154	15.10.20	1800	26.10.20
5	155	19.10.20	34520	26.10.20

Sno	CBP	Date of Receipt	Amount (₹)	Deposited in Treasury
1	113	09.08.19	13200	20.09.19
2	113	09.08.19	13200	16.10.20
3	114	13.08.19	12000	16.10.20
4	114	14.08.18	9600	16.10.20
5	114	16.08.19	8400	16.10.20
6	116	28.08.19	7200	16.10.20
7	116	29.08.19	6000	16.10.20
8	116	30.08.19	7200	16.10.20
9	153	01.10.20	90000	16.10.20
10	153	01.10.20	30000	29.10.20
11	153	13.10.20	1200	29.10.20
12	154	14.10.20	6000	29.10.20
13	154	15.10.20	3600	29.10.20
14	154	19.10.20	7200	29.10.20

उक्त अनियमितता को अंकेक्षण अध्याचना संख्या 03 दिनांक 25.04.25 के अंतर्गत संस्थान प्रधानाचार्य के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर संस्थान के पत्र संख्या 1269 दिनांक 05.05.25 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्राप्त निधियों को Covid-19 महामारी में लगे प्रतिबंधों के कारण बिलम्ब से जमा किया गया है, उत्तर पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि निम्न वर्णित प्राप्तियाँ Covid-19 महामारी से पहले की है।

Sno	CBP	Date of Receipt	Amount (₹)	Date of deposit in Bank
1	111	31.07.19	4620	05.8.19
2	113	9.8.19	36485	17.08.19
3	116	28.08.18	27720	21.09.19

Sno	CBP	Date of Receipt	Amount (₹)	Deposited in Treasury
1	113	09.08.19	13200	20.09.19
2	113	09.08.19	13200	16.10.20
3	114	13.08.19	12000	16.10.20
4	114	14.08.18	9600	16.10.20
5	114	16.08.19	8400	16.10.20
6	116	28.08.19	7200	16.10.20
7	116	29.08.19	6000	16.10.20
8	116	30.08.19	7200	16.10.20

अतः उक्त के सम्बन्ध में औचित स्पष्ट किया जाए एवं भविष्य में प्राप्त निधियों को नियमानुसार बैंक/सरकारी खजाने में जमा करना सुनिश्चित कर कृत कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 बिजली बिलों के ₹0.19 लाख के अधिक भुगतान बारे :-

दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा निम्न वर्णित प्रकरणों में बिजली बिलों का सम्बन्धित माह के वर्तमान बिल (Current Charges) के अतिरिक्त ₹18761/- का अधिकतम भुगतान किया गया था।

Sno	Voucher No & dt	CBP	Consumer ID	Meter No	Billing Period	Bill Date	Current Charges (₹)	Amount Paid (₹)	Excess Paid (₹)
1	04 dt 13.05.19	105	100008000314	26396669	Apr-19	13.05.19	11523	11674	151
2	12 dt 23.08.19	115	100008000314	12383604	Jul-19	14.08.19	14385	16242	1857
3	27 dt 17.12.19	135	100008000324	26396669	Nov-19	12.12.19	5572	11017	5445
			100008000314	12383604	Nov-19	12.12.19	10377	21685	11308
Total							41857	60618	18761

उक्त अनियमितता को अंकेक्षण अध्याचना संख्या 04 दिनांक 25.04.25 के अंतर्गत संस्थान प्रधानाचार्य के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर संस्थान के पत्र संख्या 1269 दिनांक 05.05.25 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया अक्टूबर-2019 के बिल (₹5445/- व ₹11308) नवम्बर-2019 में प्राप्त न होने के कारण इसका भुगतान दिसम्बर-2019 में किया गया है। चूंकि अक्टूबर-2019 के बिजली बिल अंकेक्षण प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में अंकेक्षण में इसकी पुष्टि नहीं हो सकी अतः बिजली विभाग से उक्त बिलों को प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए तथा यदि Current Charges के अतिरिक्त (Late Charges/Penalty) भुगतान किया गया है तो उसकी उचित स्रोत से वसूली की जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक 13.05.19 व 23.08.19 को (₹151 व ₹1857) किये अधिक भुगतान को सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए अन्यथा उचित स्रोत से वसूली कर कृत कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत कवय जाए।

10 ₹4500/- का अनियमित व्यय करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि औद्योगिक संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि से निम्नलिखित विवरणानुसार ₹4500/- का भुगतान अखबार में बधाई सन्देश छपवाने के लिए किया गया था जो कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा नियमावली- 2017 के प्रावधानों के अनुसार छात्र कल्याण निधि पर वैध प्रभार नहीं है।

Sno	CBP	Vchr No	Date	Particulars	Amount (₹)	Remarks
1	127	20	18.10.19	Advertisement payment to Jagran Parkashan Ltd (Dainik Jagran Newspaper)	2000	Not valid Charge on SWF

2	135	28	19.12.19	Advertisement payment to M/s Kayra Advertisement (Punjab Kesari Newspaper)	2500	Not valid Charge on SWF
Total					4500	

इस अनियमितता को अंकेक्षण अध्याचना संख्या 06 दिनांक 26.04.25 के द्वारा संस्थान प्रधानाचार्य के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर संस्थान के पत्र संख्या 1269 दिनांक 05.05.25 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त ₹4500/- को छात्र कल्याण निधि में (वाउचर संख्या 03 दिनांक 05.05.25) जमा करवा दिया गया है। जिसकी पुष्टि वर्तमान अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है। अतः भविष्य में हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा नियमावली- 2017 के प्रावधानों के अनुसार ही छात्र कल्याण निधि से खर्चा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. स्रोत पर वस्तु एवं सेवाकर कटौती (GST-TDS) न करने बारे :-

हि०प्र० G.S.T. अधिनियम 2017 की धारा 51 विहित प्रावधान अनुसार एकल अनुबन्ध में ₹2.50 लाख से अधिक कर योग्य वस्तुओं एवं सेवाओं या दोनों की आपूर्तिकर्ता पर वस्तु एवं सेवाकर (GST-TDS) की कटौती 2% की दर से की जानी अपेक्षित है। "As per H.P. GST Act.2017, the TDS provision Under section 51 has been made applicable in H.P. w.e.f 01.10.2018. The Govt Entities are required to deduct TDS at the rate of 2%(1% SGST+1%CGST) for intra state supplies or 2% IGST for Inter-state supplies from the payment made or credited to the supplier of taxable goods or services or both, where that total value of such supply, under a contract, exceeds Rs.2.50 lakh.

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा M/s Phillips International Jalandhar को जिम से सम्बंधित मशीनरी के क्रय के लिए ₹3,57,000/- का भुगतान किया था परन्तु नियमानुसार स्रोत पर वस्तु एवं सेवाकर (TDS on GST) की कटौती नहीं की गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Sno	CBP	Voucher No & Date	Name of the Firm	Bill No / date	Items	Bill amount Including GST (₹)	Taxable amount (Excluding GST) (₹)	TDS (GST) to be deducted (₹)
1	179	46 dated 30.03.21	M/s Phillips Internationals, Jalandhar	P/20-21/1644 dt 17.03.21	Multi Gym Station	142500	120763	2,415
2			-do-	P/20-21/1659 dt 18.03.21	GYM ITEM-- TREADMILL NOVA TURBO T9	155000	131356	2,627

3		-do-	P/20- 21/1661 dt 18.03.21	GYM ITEM-- Differenbt sized Weight Dumbbells	24000	20339	407
4		-do-	P/20- 21/1662 dt 18.03.21	GYM ITEM-- STUDIO BIKE NOVAFIT 06	35500	30085	602
Total					3,57,000	3,02,543	6,051

उपरोक्त स्रोत पर वस्तु एवं सेवाकर की कटौती न करने के बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या 06 दिनांक 26.04.25 द्वारा संस्थान को अवगत करवाया गया संस्थान के प्रत्युत्तर पत्र संख्या 1269 दिनांक 05.05.25 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त समग्री की खरीद के समय संस्थान का GST No. न होने के कारण टी०डी०एस० की कटौती नहीं की जा सकी (संस्थान को 19.10.21 को GST No. अलॉट हुआ था , जबकि उक्त खरीद मार्च-2021 की है) एवं भविष्य में यह कटौती सुनिश्चित की जाएगी। अतः भविष्य में नियमानुसार स्रोत पर वस्तु एवं सेवाकर की कटौती सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ यह कहना भी उचित होगा कि यदि सम्बन्धित विभाग (GST) द्वारा स्रोत पर वस्तु एवं सेवाकर की कटौती न किये जाने के कारण कोई दण्ड अथवा अधिभार लगाया जाता है तो संस्थान का DDO (आहरण एवं वितरण अधिकारी) निजी रूप से इसके लिए जिम्मेवार होगा।

12. छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही में अन्य प्राप्तियों व भुगतानों का लेखांकन करना :-

छात्र कल्याण निधि के अंकेक्षण में पाया गया कि निधि की रोकड़ बही में विभिन्न विभागों से प्राप्त राशियों को आय दर्शाकर भुगतान दर्शाया गया है, जिससे निधि की वास्तविक आय या व्यय का आकलन सम्भव नहीं था। संस्थान द्वारा उपलब्ध करवायी गई जानकारी /सूचना जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट- "ग" में दिया गया है, के अनुसार अवधि 04/19 से 03/24 तक अन्य स्रोतों से कुल ₹6,74,091/- की राशि प्राप्त की गई तथा इसके एवज में राशि ₹6,65,892/- का भुगतान किया गया। इस प्रकार अभी भी छात्र कल्याण निधि के बैंक खाते में ₹8,199/- (6,74,091-6,65,892) की राशि शेष बची है।

वर्णित अनियमितता बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या 07 दिनांक 28.04.25 के द्वारा संस्थान प्रधानाचार्य के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में संस्थान के पत्र संख्या 1269 दिनांक 05.05.25 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया कि भविष्य में अन्य स्रोतों से प्राप्त आय का लेखांकन छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही में नहीं किया जाएगा। अतः उपरोक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त अव्ययित राशि ₹8,199/- को सम्बन्धित खातों में हस्तांतरित किया जाए व भविष्य में अन्य स्रोतों की प्राप्तियों व भुगतान हेतु पृथक रोकड़ बही का संधारण किया जाए व छात्र कल्याण निधि में केवल सम्बन्धित निधि की आय-व्यय का लेखांकन करना ही सुनिश्चित किया जाए, जिससे निधि का वास्तविक आय व व्यय का आकलन हो सके। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 (i). कालातीत संस्थागत सुरक्षा निधि को विकास कोष में हस्तांतरित न करने बारे :-

हि०प्र० राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के वार्षिक सूचीपत्र (Prospectus) के क्रम संख्या 14 (राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की शुल्क संरचना) में वर्णित नियमों के अनुसार संस्थागत सुरक्षा राशि (वापसी योग्य) को केवल प्रशिक्षण के पूरा होने या प्रशिक्षण छोड़ने के बाद एक साल के अन्दर वापिस किया जा सकता है तथा प्रशिक्षण के पूरा होने या प्रशिक्षण छोड़ने के बाद एक साल के अन्दर यदि संस्थागत सुरक्षा राशि (वापसी योग्य) को वापिस नहीं किया गया तो इसे विकास कोष में जमा कर दिया जाएगा एवं तदोपरान्त वापिस नहीं किया जाएगा।

अवधि 04/19 से 03/24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा उपरोक्त नियम के अनुसार जिन छात्रों द्वारा प्रशिक्षण के पूरा होने या प्रशिक्षण छोड़ने के बाद एक साल के अन्दर संस्थागत सुरक्षा राशि (वापसी योग्य) को वापिस नहीं लिया गया उस कालातीत राशि को विकास कोष में हस्तांतरित नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियम के अनुसार सही नहीं है।

13(ii). प्रतिभूति निधि प्राप्ति/भुगतान रजिस्टर संधारण न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा संस्थागत सुरक्षा (वापसी योग्य) निधि के प्राप्ति/भुगतान रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया था, जिसके अभाव में यह पता लगाना मुश्किल था कि प्रत्येक वर्ष कितने छात्रों से संस्थागत सुरक्षा निधि प्राप्त की है व कितने छात्रों को वापिस की गई है एवं कितने छात्रों की राशि शेष बची है। इस प्रकार अंकेक्षण अवधि 04/19 से 03/24 के दौरान वापिस/भुगतान की गई संस्थागत सुरक्षा (वापसी योग्य) निधि की राशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उक्त पैरा संख्या 13(i) व (ii) में वर्णित अनियमितता बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या 05 दिनांक 26.04.25 के द्वारा संस्थान प्रधानाचार्य के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर संस्थान के पत्र

संख्या 1269 दिनांक 05.05.25 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया, कि भविष्य में उक्त रिकॉर्ड का संधारण कर लिया जाएगा। अतः तत्काल प्रभाव से संस्थागत प्रतिभूति निधि प्राप्ति/भुगतान रजिस्टर का संधारण सुनिश्चित किया जाए व संस्थागत सुरक्षा निधि (वापसी योग्य) की कालातीत राशि की गणना कर उसे नियमानुसार विकास कोष में हस्तांतरित कर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

14. आय-व्यय का अनुमान तैयार न करने बारे :-

हि०प्र० राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, के छात्र कल्याण निधि नियम, 2017 के नियम 4 (ख) के अनुसार संस्थान द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय का अनुमान तैयार करना तथा उसके अनुसार व्यय करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि 04/19 से 03/24 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा उपरोक्त नियम के अनुसार आय तथा व्यय का अनुमान विवरण तैयार नहीं किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05 दिनांक 26.04.25 के प्रत्युत्तर में संस्थान द्वारा अंकेक्षण को कार्यालय पत्र संख्या 1269 दिनांक 05.05.25 द्वारा सूचित किया कि आय-व्यय अनुमान को अनुरक्षण कर लिया जाएगा। अतः भविष्य में नियमानुसार अनुमानित आय-व्यय का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15. भण्डार रजिस्टर का नियमानुसार रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावली 2009 के नियम 138 (2) के अनुसार स्थायी व अस्थायी सामग्री का भण्डार रजिस्टर अलग-अलग संधारित करना अपेक्षित है। संस्थान के छात्र कल्याण निधि के संधारित भण्डार रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि संस्थान द्वारा स्थायी व अस्थायी प्रकृति की सामग्री का अलग 2-भण्डार रजिस्टर नहीं लगाया गया था अर्थात् स्थायी व अस्थायी प्रकृति की समस्त सामग्री का इन्द्राज अव्यवस्थित तरीके से एक ही पृष्ठ में किया गया था। जो उक्त नियम अनुसार अनियमित है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05 दिनांक 26.04.25 के प्रत्युत्तर में संस्थान के पत्र संख्या 1269 दिनांक 05.05.25 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया, भविष्य में नियमानुसार भण्डार रजिस्टर का संधारण कर लिया जाएगा। अतः तत्काल प्रभाव से नियमानुसार स्थायी व अस्थायी प्रकृति की सामग्री के लिए अलग 2-भण्डार रजिस्टर का संधारण सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16. लघु आपति विवरणिका :- इसे पृथक से जारी नहीं किया गया।

17. निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

01 JUL 2025

(रविन्द्र कंवर)
संयुक्त निदेशक

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009

दूरभाष 0177-2620881

4083-4085

का0/प्रि0

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15) (XI)(ii) 466/2000 खण्ड-2 दिनांक शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुन्दरनगर हि0प्र0।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नूरपुर, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

पंजीकृत

01 JUL 2025

(रविन्द्र कंवर)
संयुक्त निदेशक

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009

दूरभाष 0177-2620881

का0/प्रि0

Govt. ITI Nurpur, Distt Kangra-176202

Financial Position of S.W.F.

Year 2019-20

Opening balance as on 01.04.19	4903750
Receipts during the year	5217333
Interest	205492
Total	10326575
Expenditure	4263066
Closing balance as on 31.03.20	6063509

Year 2020-21

Opening balance as on 01.04.20	6063509
Receipts during the year	1774703
Interest	363344
Total	8201556
Expenditure	1606454
Closing balance as on 31.03.21	6595102

Year 2021-22

Opening balance as on 01.04.21	6595102
Receipts during the year	2949279
Interest	287844
Total	9832225
Expenditure	1665982
Closing balance as on 31.03.22	8166243

Year 2022-23

Opening balance as on 01.04.22	8166243
Receipts during the year	1653493
Interest	361220
Total	10180956
Expenditure	1371212
Closing balance as on 31.03.23	8809744

Year 2023-24

Opening balance as on 01.04.23	8809744
Receipts during the year	1788934
Interest	441894
Total	11040572
Expenditure	1403723
Closing balance as on 31.03.24	9636849

Detail of Closing balance as on 31.03.24

In KCC BANK - 50069170721 Saving A/c	2870926
In FDR	6765923
Total	9636849


Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171002


Principal (Senior Scale)
Govt. Industrial Training Institute
Nurpur, Distt. Kangra (H.P.)

‘परीक्षा १६ जू’ ११ अंश - “ ५”

Details of Investment (FDRs) of Govt. ITI SWF Nurpur (H.P.)-176202

As on 31.03.2024

ITI SWFAccount NO. 50069170721 Kangra Central Co-op Bank Nurpur Distt Kangra

Sno	Name of Bank	TDR Ret No.	FDR A/c No.	Date of Investment	Amount Invested	Intt. Rate	Maturity Date	Maturity Amount
1	KCCB	301152	50068933844	19.11.23	500231	6.80%	19.11.24	535124
2	KCCB	301151	50070765374	11.11.23	1879087	6.80%	11.11.24	2010160
3	KCCB	301150	50070789918	18.11.23	1262668	6.80%	18.11.24	1350744
4	KCCB	440913	50071073440	07.01.24	2016174	6.80%	07.01.25	2156810
5	KCCB	172218	50073079927	26.04.23	1107763	6.50%	25.04.24	1181283
Total					6765923			7234121


Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171003


Principal (Stable Scale)
Govt. Industrial Training Institute
Nurpur, Distt. Kangra (H.P.)

15

RECEIPTS				
Sno'	CBP	Date	Particulars	Amount
1	Vol-III-P-104	02.05.19	Received synergy consultant dehradun through R.No. 525 on a/c of campus interview	5000
2	Vol-III-P-105	24.05.19	Advance from HP Takniki Shiksha Board for NCVT exam	5950
3	Vol-III-P-108	12.07.19	DTE Sudernagar for Trainees under Integrated Disabled Plan	22140
4	Vol-III-P-118	06.09.19	Received from HP Takniki Shiksha board on a/c of Remuneration of Staff of NCVT Exam	8780
5	Vol-III-P-137	02.01.20	Registration Fee(Spot Round)	11550
6	Vol-III-P-137	04.01.20	Received from DTE Sudernagar for purchase of books and tool kits	100000
7	Vol-III-P-141	13.02.20	Amount from HP Takniki Shiksha Board for NCVT exam contingency	1353
8	Vol-III-P-145	24.03.20	Amount received from DC Kangra Remuneration of Lok Sabha Election 2019	7000
9	Vol-III-P-145	14.09.20	Received from DTE Sudernagar for purchase of books	10000

PAYMENTS					
Sno'	CBP	Date	V.no	Particulars	Amount
1					
2	Vol-III-P-110	31.07.19	8	Paid to Staff	5950
3					
4	Vol-III-P-121	12.09.19	15	Remuneration of Staff of NCVT Exam	8780
5	Vol-III-P-137	02.01.20	31	Registration Fee(Spot Round) to DTE	11550
6	Vol-III-P-139	04.02.20	33	Paid to Trainees under Integrated Disabled Plan	22140
7	Vol-III-P-144	23.03.20	37	Purchase of books	14520
8	Vol-III-P-152	28.09.20	12	Govt head vide challan	7000
9					

Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171002

ONE

16

Principal (Senior Scale)

Govt. Industrial Training Institute
Nurpur, Distt. Kangra (H.P.)

10	Vol-III-P-153	13.10.20	Received from HPPSC Shimla for conduct of HPAS-2019 Prelim. Exam.	28145
11	Vol-III-P-155	19.10.20	Registration Fee of Gen/sc/st	6800
12	Vol-III-P-156	20.10.20	Registration Fee of Gen/sc/st	4200
13	Vol-III-P-156	21.10.20	Registration Fee of Gen/sc/st	3950
14	Vol-III-P-156	22.10.20	Registration Fee of Gen/sc/st	850
15	Vol-III-P-157	23.10.20	Registration Fee of Gen/sc/st	950
16	Vol-III-P-162	05.11.20	Registration Fee of Gen/sc/st	350
17	Vol-III-P-163	09.11.20	Registration Fee of Gen/sc/st	350
18	Vol-III-P-163	10.11.20	Registration Fee of Gen/sc/st	250
19	Vol-III-P-163	12.12.20	Registration Fee of Gen/sc/st	1200
20	Vol-III-P-168	24.12.20	Received from HPPSC Shimla for conduct of Tehsil Welfare Exam.	10966
21				
22	Vol-III-P-171	16.01.21	Registration Fee of Gen/sc/st	1050
23	Vol-III-P-172	06.02.21	Registration Fee of Gen/sc/st	700
24	Vol-III-P-172	08.02.21	Registration Fee of Gen/sc/st	700
25	Vol-III-P-172	09.02.21	Registration Fee of Gen/sc/st	600
26	Vol-III-P-175	15.02.21	Registration Fee of Gen/sc/st	350
27	Vol-III-P-194	29.09.21	Received from DTE Sundernagar for books	20000
28	Vol-III-P-194	08.10.21	Advance from HP Takniki Shiksha Board for NCVT exam	5800
29	Vol-III-P-196	18.10.21	Received from RRC	2500
30	Vol-III-P-210	12.01.22	Received HP Takniki Shiksha Board contingency bill of Nov. 2020	1780
31	Vol-III-P-221	17.03.22	Received HP Takniki Shiksha Board contingency bill of March, 2021	1236

10	Vol-III-P-157	26.10.20	21	Paid to staff as Remuneration for conduct of HPAS-2019 Prelim. Exam	28145
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	Vol-III-P-166	01.12.20	29	Transferred to DTE	17700
19					
20	Vol-III-P-169	01.01.21	33	Transferred to DTE	1200
21	Vol-III-P-170	06.01.21		Paid to Staff	10966
22	Vol-III-P-171	16.01.21	36	Transferred to DTE	1050
23	Vol-III-P-172	08.02.21	38	Tool & KIT	69993
24	Vol-III-P-176	18.02.21	42	Transferred to DTE	2350
25	Vol-III-P-212	01.02.22	27	Purchase of Books	10724
26	Vol-III-P-212	01.02.22	27	Purchase of Books	29067
27					
28					
29					
30					
31					

Section Officer (Audit)

H.P. State Audit Department

Shimla-171009

Principal (Senior Scale)

Govt. Industrial Training Institute

New Kandi, J.H.D.

32	Vol-III-P-221	31.03.22	Received from DTE Sundernagar for purchase of tool kits	384000
33	Vol-III-P-228	23.05.22	Received HP Takniki Shiksha Board	8815
34	Vol-III-P-237	19.07.22	Received HP Takniki Shiksha Board	1905
35				
36				
37				
38				
39	Vol-IV-P-17	16.02.23	Received HP Takniki Shiksha Board contingency bill NCVT Nov, 2021	2999
40	Vol-IV-P-18	01.03.23	Received from Red Ribbon Club	2500
41	Vol-IV-P-19	04.03.23	Received HP Takniki Shiksha Board	582
42	Vol-IV-P-43	27.09.23	Received from Red Ribbon Club	6500
43	Vol-IV-P-58	19.01.24	Received HP Takniki Shiksha Board	2290

674091

32	Vol-III-P-223	06.04.22	Expenditure HPTSB 1 Contingency	5256
33	Vol-III-P-225	22.04.22	5 Purchase of Books	20000
34	Vol-III-P-230	16.06.22	Remuneration paid to 8 staff HPTSB	8815
35	Vol-III-P-242	23.08.22	16 Purchase of tool Kit	167002
36	Vol-III-P-243	26.08.22	18 Purchase of tool Kit	133404
37	Vol-III-P-244	01.09.22	19 Purchase of tool Kit	83585
38	Vol-III-P-252	30.09.22	Remuneration paid to 25 staff HPTSB	1905
39				
40	Vol-IV-P-20	13.03.23	expenditure Ribbon 46 Club	2500
41				
42				
43	Vol-IV-P-58	23.01.24	Remuneration paid to 46 staff HPTSB	2290

665892


Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009


Principal (Senior Scale)
Govt. Industrial Training Institute
Nurpur, Distt. Kangra (H.P.)

